प्रिय भाईयों/बहनों,

सोन एक अंतर्राज्यीय नद है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित पवित्र तीर्थ अमरकंटक से निकलता है और बिहार में पटना और भोजपुर जिला की सीमा पर हल्दी छपरा–दयालचक के पास पवित्र गंगा नदी में विलीन हो जाता है। इसकी कुल लम्बाई 821 कि.मी. है। इसके जलग्रहण क्षेत्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का क्षेत्र आता है।

ब्रिटिश शासन में बिहार के तत्कालीन शाहाबाद, गया और पटना जिलों की समतल उर्वरा भूमि में सिंचाई की व्यवस्था के लिए सोन नहरों का जाल बिछाया गया। 1874 ई. में इन नहरों से सिंचाई आरंभ हुआ। अमेरिका के अभियंता हर्बर्ट एम. विलसन ने 2,3 और 4 फरवरी 1890 को आरा और बक्सर मुख्य नहरों में स्टीमर से यात्रा कर अध्ययन किया और टिप्पणी की कि "सोन नहरें स्वेज नहर की तरह दिखाई पड़ती हैं। इनकी गहराई 9 फीट तथा चौड़ाई निचले भाग में 80 फीट और ऊपरी भाग 120 फीट है।"

1960 तक सोन नद एवं इसकी सहायक नदियों पर कोई भी बांध नहीं था। सोन जल ग्रहण क्षेत्र का पूरा पानी बिहार की सोन नहरों के लिए उपलब्ध था। 1960 में पनबिजली उत्पादन के लिए रिहंद जलाशय निर्माण के समय उत्तर प्रदेश सरकार ने सोन नहर के किसानों का सोन के पानी पर पारम्परिक अधिकार स्वीकार किया। तदनुसार व्यवस्था की गई कि पनबिजली निर्माण के दौरान रिहंद जलाशय से करीब 6 हजार क्यूसेक जलप्रवाह निरंतर छोड़ा जाता रहेगा। इस आश्वासन के बाद पुरानी सोन नहरों की क्षमता बढ़ाई गई। डिहरी–ऑन–सोन एनीकट के ऊपर इन्द्रपुरी बराज बना। पूर्वी और पश्चिमी उच्च स्तरीय नहरों का निर्माण हुआ। इससे करीब 5 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की सुविधा मिली।

1973 में मध्य प्रदेश सरकार ने सोन की मुख्य धारा पर बाणसागर डैम बनाने का निर्णय लिया। तब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की तत्कालीन सरकारों के बीच 16 सितम्बर 1973 को बाणसागर समझौता हुआ। सोन एवं सहायक नदियों की कुल अनुमानित वार्षिक जलोपलब्धि 142.50 लाख एकड़ फीट आंकी गई। मध्य प्रदेश को 52.50 लाख एकड़ फीट, उत्तर प्रदेश को 12.50 लाख एकड़ फीट और बिहार को 77.50 लाख एकड़ फीट पानी का आवंटन हुआ। इस समझौता में भी सोन के पानी पर बिहार की सौ साल पुरानी सोन नहरों के पारम्परिक अधिकार को मान्यता दी गई। बिहार को मिले 77.50 लाख एकड़ फीट पानी में से 50 लाख एकड़ फीट पानी पुरानी सोन नहरों के लिए

Scanned with OKEN Scanner

आरक्षित रखा गया। प्रावधान किया गया कि सोन की वार्षिक जलोपलब्धि में किसी वर्ष कमी हुई तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के हिस्सा में कटौती 52.5:12.5 और 27.5 के अनुपात में होगी। अर्थात शताब्दी पुरानी सोन नहरों के लिए आवंटित 50 लाख एकड़ फीट जल में से एक बूंद की भी कटौती नहीं होगी।

इस बीच 1975 में एनटीपीसी ने सोन जलग्रहण क्षेत्र में ताप बिजली घरों का समूह स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया। सोन जलग्रहण क्षेत्र में कुल करीब 33,130 मेगावाट क्षमता की ताप बिजली घरों का निर्माण करने की योजना बनी। इनमें से 23,130 मेगावाट क्षमता के ताप बिजली घर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर सिंगरौली के समीप स्थापित होने थे। इन ताप बिजली घरों में रिहंद जलाशय के पानी का उपयोग किया जाना था। बिहार सरकार ने इस पर अपत्ति किया। उल्लेखनीय है कि इसकी जानकारी मिलने पर 1980 के दशक के आरंभ में बिहार के किसानों ने इसके खिलाफ आवाज उठाया। बिहार सरकार, सोन नदी आयोग, केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने भी इसे गलत करार दिया और कहा कि रिहंद जलाशय का पानी ताप बिजली घरों में ले जाने पर बिहार की शताब्दी पुरानी सोन नहरों के पारंपरिक अधिकार का हनन होगा और सभी ताप बिजली घरों का निर्माण हो जाने पर रिहंद जलाशय में सोन नहरों के लिए पानी नहीं बचेगा। बाणसागर समझौता के समय सूखा प्रवण क्षेत्रों की योजनाओं को प्राथमिकता देने का वादा था। मगर पलामु क्षेत्र की योजनाएं आज तक लागू नहीं हुई, जिसे कनहर से पानी आवंटित है।

विशेषज्ञों ने एक क्षेत्र में इतना बड़ा ताप बिजलीघर समूह खड़ा करने को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया। यह भी कहा गया कि इससे भारी मात्रा में जल और वायु का प्रदूषण होगा। जिसका विपरीत प्रभाव छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किसानों और ग्रामीणों पर होगा। इन राज्यों के किसान सिंचाई सुविधा से वंचित होंगे। इससे बिहार की सोन नहरों, झारखण्ड की कनहर परियोजना तथा छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सिंचाई सुविधाओं पर संकट पैदा हो गया है।

इस बीच स्व. राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्वकाल में राष्ट्रीय जल नीति (1987) बनाई गई। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्वकाल में इस का विस्तार कर नई "राष्ट्रीय जल नीति (2002)" बनाई गई। दोनों ही जल नीतियों में जलोपयोग की प्राथमिकताएँ निर्धारित की गई हैं। पहली प्राथमिकता पेयजल की, दूसरी सिंचाई की, तीसरी जलविद्युत की, चौथी परिस्थितिकी

Scanned with OKEN Scanner

की और पांचवी प्राथमिकता ताप बिजली उत्पादन और औद्योगिक खपत की रखी गई है। बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता को पेय जल और किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने की पहली और दूसरी प्राथमिकताओं की जगह पांचवी प्राथमिकता वाले ताप बिजली घरों को सोन नद एवं इसके सहायक नदियों का पानी दिया जाना "राष्ट्रीय जल नीति" का खुला उल्लंघन है। वह राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है। इन ताप बिजली घरों से हो रहे वायु एवं जल प्रदूषण से पर्यावरण और जनस्वास्थ्य को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष होने वाले खतरों को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में किसानों का प्रतिनिधि संगठन सोन अंचल विकास समिति और स्वयंसेवी संस्था युगांतर भारती ने सोन नद के उद्गम स्थल अमरकंटक से सोन–गंगा संगम स्थल तक एक अध्ययन सह जनजागरण यात्रा करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य सोन बेसिन की जनता के साथ प्रत्यक्ष संवाद करना, इस क्षेत्र के किसानों और अन्य लोगों को उपलब्ध हो रही और होने वाली सिंचाई सुविधा पर संकट का अध्ययन करना तथा ताप बिजली घरों एवं अन्य उद्योगों से हो रहे प्रदूषण के प्रति आमजन एवं सरकारों को सचेत करना है।

यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर सभाएँ, जनसंवाद, परिचर्चा तथा सूचना और जानकारी आदान–प्रदान के कार्यक्रम किए जायेंगे। विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, राजनैतिक एवं गैर राजनैतिक क्षेत्रों में कार्यरत संवेदनशील समूह, बुद्धिजीवी, कृषक संगठन, मजदूर संगठन और समाजिक कार्यकर्ता इस सकारात्मक आन्दोलन के आधार होंगे। हम इस अभियान की सफलता के लिए आपके सक्रिय सहयोग के आकांक्षी हैं। आपसे अनुरोध है कि साथ में दिए गये यात्रा विवरणी के अनुसार विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में अपनी सुविधानुसार शामिल होने की कृपा करें।

निवेदक

कामेश्वर सिंह
(संयोजक)
शिवधारी राम
नीरज जैन
(सह–संयोजक)

सरयू राय
(संरक्षक)
सुनील कु० सिंह
(मुख्य समन्वयक)

भारत सिंह सिसोदिया
गिरीश द्विवेदी
ओंकार केशरी
राकेश भास्कर
(समन्वयक)

Scanned with OKEN Scanner